Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में पटवारी एवं ग्राम प्रतिहारी 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 मार्च, गुरूवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामकुमार गुर्जर पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर, अतिरिक्त चार्ज गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा एवं गोबरीलाल ढोली ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की एवज में रामकुमार गुर्जर पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर, अतिरिक्त चार्ज गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा एवं गोबरीलाल ढोली ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री हरीश भारती** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोबरीलाल ढोली पुत्र श्री रामदयाल निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी हाल ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रामकुमार गुर्जर पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम फूसपुरा पोस्ट धोर, तहसील बसेड़ी, जिला धोलपुर हाल निवासी प्लॉट नं0 जे–14, पार्वतीपुरम, कुन्हाड़ी, कोटा शहर हाल पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर, अतिरिक्त चार्ज गोपालपुरा, तहसील तालेड़ा को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी रामकुमार गुर्जर द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।